73

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 विविध ~~अपील~~ विविध 9080-II-17

गजेन्द्र सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम परौसा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

ओमवती पत्नी जसवंत निवासी ग्राम परौसा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

..... अनावेदक

प्रस्तुत 27-4-17

राजस्व मण्डल 27-4-17

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी.

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमाक 1492/1/16 में पारित आदेश दिनांक 6.2.2016 के स्थान पर दिनांक 6.2.2017 किए जाने बाबत

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.5.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी। जो प्रकरण क्रमांक 1492/ 1/ 16 पर दर्ज की गई।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5.10.2016 को निगरानी में अंतिम तर्क श्रवण किये गये थे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.2.2017 को आदेश पारित किया गया है आदेश में जो दिनांक अंकित की गई है वह दिनांक 6.2.2016 त्रुटिवश लिख गई है आदेश दिनांक 6.2.2016 के स्थान पर आदेश-दिनांक 6.02.2017 लिखा जाना न्यायोचित होगा। उक्त त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1492/ 1/2016 मे पारित आदेश 6.2.2016 त्रुटिवश अंकित हो गया है जिसे सुधार कर आदेश दिनांक 6.02.2017 किये जाने की कृपा करें।

दिनांक 27-4-17

आवेदक

गजेन्द्र सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 9080–दो/17 जिला –भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
4 .5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी0 पी0 सी0 का प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 1492–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 6.2.2016 भूलवश अंकित हो गया है। अतः पारित आदेश दिनांक 6.2. 2016 के स्थान पर 6.2.2017 किया जाना उचित होगा। 2–आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 6.2.2016 के स्थान पर दिनांक 6.2.2017 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	